

**अनुदान संख्या 46 - स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग**  
**GRANT No. 46-DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)				
<b>राजस्व:</b>	<b>Revenue:</b>			
स्वीकृत-	Voted-			
मूल	Original	13874,55,00		
पूरक	Supplementary	7,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year		13874,62,00	11599,71,17 -2274,90,83
<b>पूंजीगत:</b>	<b>Capital:</b>			
स्वीकृत-	Voted-			
मूल	Original	475,68,00		
पूरक	Supplementary	29,86,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year		505,54,00	361,14,69 -144,39,31
				2052,18,39
				59,11,84

**टीका और टिप्पणियां****Notes and comments**

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष '2251'	Major Head "2251"			
सचिवालय - सामाजिक-सेवाएं	Sercretariat - Social Services			
मू.	O.	2710.00		
पु.	R.	-24.00		
			2686.00	2282.18 -403.82
मुख्य शीर्ष '2210'	Major Head "2210"			
चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	Medical and Public Health			
मू.	O.	379018.00		
पू.	S.	5.00		
पु.	R.	29831.85		
			408854.85	398826.95 -10027.90

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष Head	Head			
मुख्य शीर्ष '2211'' परिवार कल्याण	Major Head "2211" Family Welfare			
मू.	O. 518662.00	512787.73	503897.23	-8890.50
पू.	S. 2.00			
पु.	R. -5876.27			
मुख्य शीर्ष '2552'' उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas			
मू.	O. 113050.00	535.82	..	-535.82
पु.	R. -112514.18			
मुख्य शीर्ष '3601'' राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments			
मू.	O. 346897.00	242908.90	241447.07	-1461.83
पु.	R. -103988.10			
मुख्य शीर्ष '3602'' संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments			
मू.	O. 3633.00	2081.16	1924.49	-156.67
पु.	R. -1551.84			
मुख्य शीर्ष '3606'' सहायता सामग्री तथा उपस्कर	Major Head "3606" Aid Materials and Equipments			
मू.	O. 23385.00	12339.15	11545.45	-793.70
पु.	R. -11045.85			

- (I) 167738.00 लाख रु. का प्रावधान तिरसठ शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 166654.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए :-
- (I) Provision of Rs.167738.00 lakhs remained wholly unutilised under sixty three heads; of these Rs.166654.00 lakhs accounted for under the following major heads:-
- (का) मुख्य शीर्ष '2210' - (A) Major Head "2210" -
- (क) 'चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान - अन्य व्यय - राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड को अनुदान' - 460.00 लाख रु. संस्थान द्वारा जुटाई गई निधियां उपलब्ध होने और कंप्यूटर हार्डवेयर की कम अधिप्राप्ति किए जाने के कारण थे। (a) "Medical Education, Training and Research - Other Expenditure - Grants to National Board of Examination" - Rs.460.00 lakhs - due to availability of funds generated by the Institution and less procurement of computer hardware.
- (ख) 'लोक स्वास्थ्य - अन्य व्यय - स्वास्थ्य क्षेत्र में आपदा संबंधी तैयारी और प्रबंधन' - 900.00 लाख रु. चल अस्पताल की अधिप्राप्ति के लिए अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण थे। (b) "Public Health - Other Expenditure - Health Sector Disaster Preparedness and Management" - Rs.900.00 lakhs - due to non-approval for procurement of mobile hospital.
- (खा) मुख्य शीर्ष '2211' - (B) Major Head "2211" -
- (क) 'चयनित क्षेत्र कार्यक्रम (भारत जनसंख्या परियोजना सहित) - स्वायत्तशासी/स्वैच्छिक संगठन/समितियों के माध्यम से चलाई जाने वाली परियोजनाएं' - 700.00 लाख रु. राज्य सरकारों से मांग प्राप्त न होने के कारण थे। (a) "Selected Area Programmes (including India Population Project) - Projects through Autonomous/Voluntary Organisation/Societies" - Rs.700.00 lakhs - due to non-receipt of demand from the State Governments.
- (ख) 'प्रजनन और बाल स्वास्थ्य - औषधियों और उपकरणों (वैक्सीन आदि को छोड़कर) की अधिप्राप्ति' - 25000.00 लाख रु. विश्व बैंक के साथ करार को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण थे। (b) "Reproductive & Child Health - Procurement of Drugs & Equipments (Other than Vaccines etc.)" - Rs.25000.00 lakhs - due to non-finalisation of agreement with the World Bank.
- (गा) मुख्य शीर्ष '2552' - (C) Major Head "2552" -
- (क) 'परिवार कल्याण - निदेशन और प्रशासन - राज्य/जिला परिवार कल्याण ब्यूरो का रख-रखाव' - 1800.00 लाख रु; (a) "FW - Direction and Administration - Maintenance of State/Dist. FW Bureau" - Rs.1800.00 lakhs;
- (ख) 'परिवार कल्याण - प्रशिक्षण' - (b) "FW - Training" -
- (i) 'एएनएम/एलएचवी का प्रशिक्षण' - 648.00 लाख रु.; (i) "Training of ANM/LHVs" - Rs.648.00 lakhs;
- (ii) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण प्रशिक्षण केंद्र' - 130.00 लाख रु.; (ii) "Health & FW Training Centres" - Rs.130.00 lakhs;

- (ग) 'परिवार कल्याण - ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं - उप - केंद्र' - 6212.00 लाख रु.;
- (घ) 'परिवार कल्याण - शहरी परिवार कल्याण सेवाएं - शहरी परिवार कल्याण केंद्र' - 250.00 लाख रु.;
- (ङ) 'परिवार कल्याण - जन शिक्षा - सूचना, शिक्षा और संचार - आरसीएच परियोजना' - 550.00 लाख रु.;
- (च) 'परिवार कल्याण - चयनित क्षेत्र कार्यक्रम (भारत जनसंख्या परियोजना सहित) - ईसी सहायता प्राप्त एसआईपी परियोजना' - 970.00 लाख रु.;
- (छ) 'परिवार कल्याण - प्रजनन और बाल स्वास्थ्य -
- (i) 'राज्य पीआईपी के लिए आरसीएच लचीला पूल' - 17577.00 लाख रु.;
- (ii) 'पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम' - 1500.00 लाख रु.;
- (iii) 'नेमी टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत वैक्सीन की आपूर्ति' - 1850.00 लाख रु.;
- (iv) 'पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत वैक्सीन की आपूर्ति' - 3000.00 लाख रु.;
- (v) 'वैक्सीन आदि को छोड़कर औषधियों और उपस्करों की आपूर्ति' - 2500.00 लाख रु.;
- (ज) 'परिवार कल्याण - अन्य सेवाएं और आपूर्तियां' -
- (i) 'राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिवार नियोजन सामग्री की निःशुल्क आपूर्ति' - 450.00 लाख रु.;
- (ii) 'गर्भ निरोधकों का सामाजिक विपणन - 145.00 लाख रु.;
- (झ) 'परिवार कल्याण - अन्य व्यय' -
- (i) 'लोक - निजी भागीदारी - सार्वजनिक - निजी भागीदारी के अंतर्गत परिवार नियोजन कार्यक्रम में गैर-सरकारी संगठनों को शामिल किया जाना - पीआईपी' - 273.00 लाख रु.;
- (c) "FW – Rural Family Welfare Services – Sub-Centres" – Rs.6212.00 lakhs;
- (d) "FW – Urban Family Welfare Services – Urban Family Welfare Centres" – Rs.250.00 lakhs;
- (e) "FW – Mass Education – Information, Education and Communication – RCH Project" – Rs.550.00 lakhs;
- (f) "FW – Selected Area Programmes (including India Population Project) – EC assisted SIP Project" – Rs.970.00 lakhs;
- (g) "FW – Reproductive & Child Health" –
- (i) "RCH Flexible Pool for State PIPs" – Rs.17577.00 lakhs;
- (ii) "Pulse Polio Immunisation Programme" – Rs.1500.00 lakhs;
- (iii) "Supply of Vaccine under Routine Immunisation Programme" – Rs.1850.00 lakhs;
- (iv) "Supply of Vaccine under Pulse Polio Immunisation Programme" – Rs.3000.00 lakhs;
- (v) "Supply of Drugs and Equipments Other than Vaccine etc." – Rs.2500.00 lakhs;
- (h) "FW – Other Services & Supplies" –
- (i) "Free Supply of FP Material to States/ UTs" – Rs.450.00 lakhs;
- (ii) "Social Marketing of Contraceptives" – Rs.145.00 lakhs;
- (i) "FW – Other Expenditure" -
- (i) "Involvement of NGOs in FP Programme under Public-Private Partnership-PIP" – Rs.273.00 lakhs;

- (ii) 'प्रबंधन सूचना प्रणाली' - 257.00 लाख रु.;
- (iii) 'मिशन लचीला पूल' - 41230.00 लाख रु.;
- (ज) 'शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी - केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना - औषधालयों और अस्पतालों की स्थापना' - 300.00 लाख रु.;
- (ट) 'चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान - एलोपैथी' -
- (i) 'पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान संस्थान, शिलांग' - 12627.00 लाख रु.;
- (ii) 'भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली' - 2100.00 लाख रु.;
- (iii) 'राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम' - 870.00 लाख रु.;
- (ठ) 'लोक स्वास्थ्य - प्रशिक्षण - परिचर्या सेवाओं का विकास' - 200.00 लाख रु.;
- (ड) 'लोक स्वास्थ्य - रोगों की रोकथाम और उन पर नियंत्रण' -
- (i) 'राष्ट्रीय वैक्टर वाहित रोग नियंत्रण कार्यक्रम' - 3283.00 लाख रु.;
- (ii) 'राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम' - 400.00 लाख रु.;
- (iii) 'राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम' - 1800.00 लाख रु.;
- (iv) 'राष्ट्रीय अंधता और रोहा नियंत्रण कार्यक्रम' - 900.00 लाख रु.;
- (v) 'राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम' - 8900.00 लाख रु.;
- (vi) 'राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम' - 500.00 लाख रु.;
- (ii) "Management Information System" – Rs.257.00 lakhs;
- (iii) "Mission Flexible Pool" – Rs.41230.00 lakhs;
- (j) "Urban Health Services – Allopathy – Central Government Health Scheme – Setting-up of Dispensaries and Hospitals" – Rs.300.00 lakhs;
- (k) "Medical Education, Training and Research – Allopathy" -
- (i) "North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health & Medical Sciences, Shillong" – Rs.12627.00 lakhs;
- (ii) "Indian Council of Medical Research, New Delhi" – Rs.2100.00 lakhs;
- (iii) "National Cancer Control Programme" – Rs.870.00 lakhs;
- (l) "Public Health – Training – Development of Nursing Services" – Rs.200.00 lakhs;
- (m) "Public Health – Prevention and Control of Diseases" –
- (i) "National Vector Borne Disease Control Programme" – Rs.3283.00 lakhs;
- (ii) "National Leprosy Control Programme" – Rs.400.00 lakhs;
- (iii) "National T.B. Control Programme" – Rs.1800.00 lakhs;
- (iv) "National Blindness and Trachoma Control Programme" – Rs.900.00 lakhs;
- (v) "National AIDS Control Programme" – Rs.8900.00 lakhs;
- (vi) "National Mental Health Programme" – Rs.500.00 lakhs;

(ढ) 'लोक स्वास्थ्य - अन्य व्यय' -

(i) 'राष्ट्रीय एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम' - 900.00 लाख रु.; और

(ii) 'अभिधात केंद्रों संबंधी क्षमता निर्माण के लिए सहायता' - 300.00 लाख रु.।

उपर्युक्त तीस शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(घ) मुख्य शीर्ष "3601" - 'केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान' -

(क) 'परिवार कल्याण - चयनित क्षेत्र परियोजनाएं (भारत जनसंख्या परियोजना सहित) - बाह्य रूप से सहायता प्राप्त संघटक' - 272.00 लाख रु. राज्य सरकारों से मांग प्राप्त न होने के कारण थे।

(ख) 'परिवार कल्याण - प्रजनन और बाल स्वास्थ्य - आरसीएच औषधियों और उपकरणों की आपूर्ति' - 21400.00 लाख रु. विश्व बैंक के साथ करार को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण थे।

(ग) 'लोक स्वास्थ्य - रोगों की रोकथाम और उन पर नियंत्रण' -

(i) 'राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम (सामान्य संघटक)' - 700.00 लाख रु. निधीयन पद्धति में परिवर्तन किए जाने के कारण थे।

(ii) 'एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम' - 3800.00 लाख रु. राज्य सरकारों को केंद्रीय स्तर की अधिप्राप्ति का विकेंद्रीकरण किए जाने के कारण थे।

(ङ) मुख्य शीर्ष "3602" - 'केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - परिवार कल्याण - प्रजनन और बाल स्वास्थ्य - आरसीएच औषधियों और उपकरणों की आपूर्ति' - 1000.00 लाख रु. विश्व बैंक की सहायताप्राप्त आरसीएच-II परियोजना के अंतर्गत औषधियों सहित आपूर्तियों और साग्रियों की अधिप्राप्ति न किए जाने के कारण थे।

(n) "Public Health – Other Expenditure" -

(i) "National Integrated Diseases Surveillance Programme" – Rs.900.00 lakhs; and

(ii) "Assistance for Capacity Building for Trauma Centres" – Rs.300.00 lakhs.

Provisions under the above thirty heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds/funds to the functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(D) Major Head "3601" – "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes" -

(a) "Family Welfare – Selected Area Projects (including India Population Project) – Externally Aided Component" - Rs.272.00 lakhs – due to non-receipt of demand from the State Governments.

(b) "Family Welfare – Reproductive and Child Health – Supply of RCH Drugs & Equipments" – Rs.21400.00 lakhs – due to non-finalisation of agreement with World Bank.

(c) "Public Health – Prevention and Control of Diseases" –

(i) "National Leprosy Control Programme (General Component)" – Rs.700.00 lakhs – due to change in funding pattern.

(ii) "Integrated Disease Surveillance Programme" – Rs.3800.00 lakhs– due to decentralisation of Central level procurement to State Governments.

(E) Major Head "3602" – "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes – Family Welfare – Reproductive and Child Health – Supply of RCH Drugs & Equipments" – Rs.1000.00 lakhs – due to non-procurement of supplies and materials including medicines under the World Bank assisted RCH-II Project.

(II) मुख्य शीर्ष '2251' - 'सचिवालय - स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग' के अंतर्गत 424.96 लाख रु. की बचत (2693.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष '2210' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) 'शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी' -

(क) 'चिकित्सा भंडार डिपो - डिपो' - 263.81 लाख रु. की बचत (2209.50 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने और अस्पतालों/औषधालयों/संस्थानों के लिए मशीनरी/उपस्करों की कम खरीद किए जाने के कारण हुई।

(ख) 'अस्पताल और औषधालय' -

(i) 'केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान, रांची' - 137.55 लाख रु. की बचत (2230.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम चिकित्सा दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(ii) 'भुज अस्पताल, गुजरात के लिए अनुदान' - 568.00 लाख रु. की बचत (1000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जी.के. भुज अस्पताल में कम व्यय होने के कारण हुई।

(खा) 'चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान - एलोपैथी' -

(क) 'कैंसर अनुसंधान - 2934.17 लाख रु. की बचत (7830.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अनुदान जारी किए जाने से संबंधित शर्तें पूरी न किए जाने और नए परिसर पर कार्य की कोई प्रगति न होने के कारण हुई।

(ख) 'अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली' - 3153.00 लाख रु. की बचत (48886.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अभिघात केंद्रों के लिए उपस्करों के सुपुर्दगी कार्यक्रम में विलंब होने के कारण हुई।

(II) Under Major Head - "2251" - "Secretariat - Department of Health & Family Welfare" - saving of Rs.424.96 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2693.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts.

(III) Under Major Head - "2210" - savings occurred under the following heads: -

(A) "Urban Health Services - Allopathy" -

(a) "Medical Stores Depots - Depots" - saving of Rs.263.81 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2209.50 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and less purchase of machinery/equipments for Hospitals/Dispensaries/Institutes.

(b) "Hospitals and Dispensaries" -

(i) "Central Institute of Psychiatry, Ranchi" - saving of Rs.137.55 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2230.00 lakhs) was due to receipt of less medical claims.

(ii) "Grant for Bhuj Hospital, Gujarat" - saving of Rs.568.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1000.00 lakhs) was due to less expenditure in G.K. Bhuj Hospital.

(B) "Medical Education, Training and Research - Allopathy" -

(a) "Cancer Research" - saving of Rs.2934.17 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.7830.00 lakhs) was due to non-fulfillment of conditions for release of grants and no progress of work on new campus.

(b) "All India Institute of Medical Sciences, New Delhi" - saving of Rs.3153.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.48886.00 lakhs) was due to delay in delivery schedule of equipments for Trauma Centres.

- (ग) 'राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बंगलौर को अनुदान' - 895.35 लाख रु. की बचत (7100.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और
- (घ) 'अखिल भारतीय वाणी एवं श्रवण संस्थान, मैसूर को अनुदान' 232.54 लाख रु. की बचत (1090.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें संस्थान के पास पिछले वर्ष का अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुई।

- (ङ) 'जवाहरलाल चिकित्सा कालेज, पांडिचेरी - 158.49 लाख रु. की बचत (2502.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने के कारण हुई।
- (च) 'क्षेत्रीय स्नातकोत्तर केंद्र, जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पांडिचेरी - 1373.92 लाख रु. की बचत (6082.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अस्पतालों/औषधालयों/संस्थानों के लिए मशीनरी/उपकरणों की कम खरीद किए जाने और रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण हुई।
- (छ) 'एम्स की तरह के अति विशिष्ट अस्पताल एवं शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और राज्य सरकार के अस्पतालों का उन्नयन' - 6873.37 लाख रु. की बचत (7500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परियोजना परामर्शदाता और वास्तुशिल्प संकल्पना डिजाइन के चयन के लिए प्राप्त बोलियां अस्वीकृत किए जाने, जिसके परिणामस्वरूप पुनः निविदा जारी करने की प्रक्रिया किए जाने की आवश्यकता होने के कारण हुई।
- (गा) 'लोक स्वास्थ्य' -
- (क) 'निर्देशन और प्रशासन - विमानपत्तन स्वास्थ्य संगठन सहित पत्तन स्वास्थ्य स्थापना' - 217.33 लाख रु. की बचत (980.00 00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान

- (c) "Grants to National Institute of Mental Health & Neuro-Sciences, Bangalore" – saving of Rs.895.35 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.7100.00 lakhs); and
- (d) "Grants to All India Institute of Speech & Hearing, Mysore" – saving of Rs.232.54 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1090.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to availability of unspent balance of previous year with the Institute.

- (e) "Jawaharlal Medical College, Pondicherry" – saving of Rs.158.49 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2502.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts.
- (f) "Regional Post Graduate Centre, Jawaharlal Institute of Post-Graduate Medical Education & Research, Pondicherry" – saving of Rs.1373.92 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.6082.00 lakhs) was due to less purchase of machinery/equipments for Hospitals/Dispensaries/Institutes and non-filling up of vacant posts.
- (g) "Establishment of AIIMS type Super-Specialty Hospitals-cum Teaching Institutions and Upgrading of State Government Hospitals" – saving of Rs.6873.37 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.7500.00 lakhs) was due to rejection of bids received for the selection of project consultant and architectural concept design necessitating re-tendering process.
- (C) "Public Health" -
- (a) "Direction and Administration – Port Health Establishment including Airport Health Organisation" - saving of Rs.217.33 lakhs (against the sanctioned provision of

- की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण हुई।
- (ख) 'प्रशिक्षण -
- (i) 'केंद्रीय कुष्ठ रोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलेपट्टू' - 131.00 लाख रु. की बचत (585.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम दावे प्राप्त होने और रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण हुई।
- (ii) 'परिचर्या सेवाओं का विकास' - 220.82 लाख रु. की बचत (1800.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अनुदानग्राहीनिकायों से उपयोग प्रमाण-पत्रों/व्यय विवरणों के प्राप्त न होने की वजह से अनुदान जारी न किए जाने और सिविल निर्माण कार्यों के मूर्तरूप न लेने के कारण हुई।
- (ग) 'रोगों की रोकथाम और उन पर नियंत्रण' -
- (i) 'राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान' - 374.70 लाख रु. की बचत (2235.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने और भवन के रख-रखाव पर कम व्यय होने के कारण हुई।
- (ii) "आयोडीन की कमी से होने वाली विकृतियों को नियंत्रित करने संबंधी कार्यक्रम' - 199.57 लाख रु. की बचत (1290.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उपयुक्त प्रस्ताव कम संख्या में प्राप्त होने के कारण हुई।
- (iii) 'राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम' - 906.69 लाख रु. की बचत (4500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों द्वारा नए प्रस्ताव प्रस्तुत न किए जाने के कारण हुई।
- (घ) "औषध नियंत्रण - केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन" - 302.58 लाख रु. की बचत (2026.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और
- (ङ) 'लोक स्वास्थ्य शिक्षा - अखिल भारतीय स्वच्छता और लोक स्वास्थ्य संस्थान, कलकत्ता - 123.69 लाख
- Rs.980.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts.
- (b) "Training" -
- (i) "Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chenglepattu" - saving of Rs.131.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.585.00 lakhs) was due to receipt of less claims and non-filling up of vacant posts.
- (ii) "Development of Nursing Services" - saving of Rs.220.82 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1800.00 lakhs) was due to non-release of grants for want of utilisation certificates/statement of expenditure from the grantee bodies and non-materialisation of civil works.
- (c) "Prevention and Control of Diseases" -
- (i) "National Institute of Communicable Diseases" - saving of Rs.374.70 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2235.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and less expenditure on maintenance of building.
- (ii) "Iodine Deficiency Disorders Control Programme" - saving of Rs.199.57 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1290.00 lakhs) was due to receipt of less number of suitable proposals.
- (iii) "National Mental Health Programme" - saving of Rs.906.69 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4500.00 lakhs) was due to non-submission of new proposals by the State Governments.
- (d) "Drug Control - Central Drugs Standards Control Organisation" - saving of Rs.302.58 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2026.00 lakhs); and
- (e) "Public Health Education - All India Institute of Hygiene and Public Health,

रु. की बचत (850.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें रिक्त पदों को न भरे जाने और अस्पतालों/औषधालयों/संस्थानों के लिए मशीनरी/उपस्करों की कम खरीद किए जाने के कारण हुई।

(च) “लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं - राष्ट्रीय जैविक मानकीकरण और गुणवत्ता नियंत्रण संस्थान - 2699.00 लाख रु. की बचत (3440.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वार्षिक अनुरक्षण संविदा, प्रयोगशाला संबंधी उपस्करों और पशु गृह को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब होने और संगोष्ठी गृह और कैफेटेरिया को सज्जित करने का काम सौंपने में विलंब होने के कारण हुई।

(छ) “लोक स्वास्थ्य प्रचार - केंद्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो, नई दिल्ली” - 158.33 लाख रु. की बचत (315.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पुस्तकों/पत्रिकाओं का मुद्रण/खरीद कम किए जाने और समाचार पत्रों में प्रकाशन/विज्ञापन के लिए विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय को कम निधियां सौंपे जाने के कारण हुई।

(ज) “अन्य व्यय” -

(i) “तम्बाकू से मुक्ति का सूत्रपात” - 338.79 लाख रु. की बचत (500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जन संचार कार्यक्रमों को देर से शुरू किए जाने के कारण हुई।

(ii) “हज यात्रियों को टीका लगाने के लिए मेनिनजाइटिस वैक्सीन की अधिप्राप्ति” - 209.34 लाख रु. की बचत (845.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रत्याशा से कम व्यय होने के कारण हुई।

(iii) “केंद्रीय स्कीमों के अंतर्गत नए सूत्रपात” - 5276.88 लाख रु. की बचत (10000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यय की धीमी गति होने के कारण हुई।

Calcutta” – saving of Rs.123.69 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.850.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-filling up of vacant posts and less purchase of machinery/equipments for Hospitals/Dispensaries/Institutes.

(f) “Public Health Laboratories – National Institute of Biological Standardisation and Quality Control” – saving of Rs.2699.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3440.00 lakhs) was due to delay in finalisation for annual maintenance contract, Lab. Equipments for Lab and Animal House and delay in award in work for furnishing of seminar house and cafeteria.

(g) “Public Health Publicity – Central Health Education Bureau, New Delhi” – saving of Rs.158.33 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.315.00 lakhs) was due to less printing/purchase of books/journals and placement of less funds at the disposal of Directorate of Advertising and Visual Publicity for publishing/advertisement in Newspapers.

(h) “Other Expenditure” -

(i) “Tobacco Free Initiatives” – saving of Rs.338.79 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.500.00 lakhs) was due to late start of media activities.

(ii) “Procurement of Meningitis Vaccine for Inoculation of Haj Pilgrims” – saving of Rs.209.34 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.845.00 lakhs) was due to less expenditure than anticipated.

(iii) “New Initiatives under Central Schemes” – saving of Rs.5276.88 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.10000.00 lakhs) was due to slow pace of expenditure.

- (iv) 'एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम' - 4207.00 लाख रु. की बचत(5500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परियोजना कार्यान्वयन योजना और समझौता ज्ञापन चरण III राज्यों को प्रस्तुत न किए जाने के कारण हुई।
- (v) 'भोजन और औषधियों के लिए क्षमता निर्माण परियोजना- बाह्य रूप से सहायता प्राप्त संघटक - 2368.65 लाख रु. की बचत (7535.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रत्याशा से कम व्यय होने के कारण हुई।
- (vi) 'आपातकालीन चिकित्सा राहत - 1828.53 लाख रु. की बचत(4000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निधियों की कम आवश्यकता होने के कारण हुई।
- (घा) 'सामान्य - स्वास्थ्य संबंधी आंकड़े और उनका मूल्यांकन - स्वास्थ्य सूचना और निगरानी प्रणाली का सुदृढ़ीकरण' - 153.30 लाख रु. की बचत (289.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण हुई।
- (IV) मुख्य शीर्ष '2211' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-
- (का) 'निदेशन और प्रशासन - क्षेत्रीय स्वास्थ्य कार्यालय - 104.03 लाख रु. की बचत (358.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण हुई।
- (खा) 'प्रशिक्षण' -
- (क) 'परिवार कल्याण प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र, मुंबई' - 474.70 लाख रु. की बचत (598.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा अनुमानों को देर से प्रस्तुत किए जाने और अनुमोदन प्रदान किए जाने में विलंब होने के कारण हुई।
- (ख) 'पुरुषों की भागीदारी' - 202.70 लाख रु. की बचत (292.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उपयुक्त प्रस्ताव कम संख्या में प्राप्त होने के कारण हुई।
- (iv) "Integrated Disease Surveillance Programme" – saving of Rs.4207.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5500.00 lakhs) was due to non-submission of project implementation plan and MOU Phase-III States.
- (v) "Capacity Building Project for Food & Drugs – Externally Aided Component" – saving of Rs.2368.65 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.7535.00 lakhs) was due to less expenditure than anticipated.
- (vi) "Emergency Medical Relief" – saving of Rs.1828.53 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4000.00 lakhs) was due to less requirement of funds.
- (D) "General – Health Statistics and Evaluation – Strengthening of Health Information and Monitoring Systems" – saving of Rs.153.30 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.289.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts.
- (IV) "Under Major Head "2211" – savings occurred under the following heads:-
- (A) "Direction and Administration – Regional Health Offices" – saving of Rs.104.03 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.358.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts.
- (B) "Training" -
- (a) "Family Welfare Training and Research Centre, Mumbai" – saving of Rs.474.70 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.598.00 lakhs) was due to late submission of estimates by the Central Public Works Department and delay in approval.
- (b) "Male Participation" – saving of Rs.202.70 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.292.00 lakhs) was due to receipt of less number of suitable proposals.

- (ग) "ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र, नजफगढ़ - 152.31 लाख रु. की बचत (516.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) योजना आयोग और वित्त मंत्रालय द्वारा ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना संबंधी प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण हुई।
- (ग) "जन शिक्षा" -
- (क) "सूचना, शिक्षा और संचार - आरसीएच परियोजना- 1589.45 लाख रु. की बचत (5500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से उपयोग प्रमाण-पत्रों के प्राप्त न होने के कारण हुई।
- (ख) "सूचना, शिक्षा और संचार - किशोर स्वास्थ्य (आरसीएच)" - 526.23 लाख रु. की बचत (970.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रसार भारती को अदायगी न किए जाने के कारण हुई।
- (घ) "चयनित क्षेत्र कार्यक्रम (भारत जनसंख्या परियोजना सहित)" -
- (क) "यूएनएफपीए से प्राप्त सहायता के अधीन कार्यक्रमलाप" - 207.60 लाख रु. की बचत (221.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और
- (ख) "यूएसएआईडी की सहायताप्राप्त परियोजना - एसआईएफपीएसए, उत्तर प्रदेश, लखनऊ" - 3316.00 लाख रु. की बचत (5000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।
- उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें निर्धारित लक्ष्य प्राप्त न किए जाने की वजह से निधियां कम जारी किए जाने के कारण हुईं।
- (ग) "ईसी की सहायताप्राप्त एसआईपी परियोजना - 3932.31 लाख रु. की बचत (14307.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड की राज्य सरकारों से अपर्याप्त और अधूरे प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।
- (c) "Rural Health Training Centre, Najafgarh" – saving of Rs.152.31 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.516.00 lakhs) was due to non-approval of the proposal for establishment of Centre of Excellence for Training in Rural Health by the Planning Commission and Ministry of Finance.
- (C) "Mass Education" -
- (a) "Information, Education and Communication – RCH Project" – saving of Rs.1589.45 lakhs (against the sanctioned provision of Rs. 5500.00 lakhs) was due to non-receipt of utilisation certificates from State Governments.
- (b) "Information, Education and Communication – Adolescent Health (RCH)" – saving of Rs. 526.23 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.970.00 lakhs) was due to non-payment to Prasar Bharti.
- (D) "Selected Area Programmes (Including India Population Project)" -
- (a) "Activities under assistance received from UNFPA" – saving of Rs.207.60 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.221.00 lakhs); and
- (b) "USAID assisted Project – SIFPSA, U.P., Lucknow" – saving of Rs.3316.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5000.00 lakhs).
- Savings under the above two heads were due to release of less funds owing to non-achievements of benchmarks.
- (c) "EC assisted SIP Project" – saving of Rs.3932.31 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.14307.00 lakhs) was due to in-adequate and incomplete proposals from State Governments of Uttar Pradesh, Bihar and Jharkhand.

- (ड) 'प्रजनन और बाल स्वास्थ्य' -
- (क) 'आरसीएच में प्रशिक्षण' - 553.79 लाख रु. की बचत (738.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रजनन और बाल स्वास्थ्य लचीले पूल के अंतर्गत राज्यों की निधीयन पद्धति और कार्यान्वयन योजना में परिवर्तन किए जाने के कारण हुई।
- (ख) 'राज्य पीआईपी के लिए आरसीएच लचीला पूल' - 10292.17 लाख रु. की बचत (152995.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पिछले वर्ष के अव्ययित शेष के उपलब्ध होने के कारण हुई।
- (ग) 'नेमी टीकाकरण कार्यक्रम' - 13339.98 लाख रु. की बचत (34500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विश्व बैंक के साथ करार को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।
- (घ) 'बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों में वैक्सीन आदि की आपूर्ति पर व्यय' - 180.56 लाख रु. की बचत (350.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अधिकारियों द्वारा कम दौरे किए जाने के कारण हुई।
- (चा) 'अन्य सेवाएं और आपूर्तियां' -
- (क) 'परिवार नियोजन सामग्री की निःशुल्क आपूर्ति - 111.46 लाख रु. की बचत (114.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उपयुक्त प्रस्ताव कम प्राप्त होने के कारण हुई।
- (ख) 'गर्भ निरोधकों का सामाजिक विपणन - 2774.30 लाख रु. की बचत (4805.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) इस स्कीम से अंतरा गर्भाशयी साधनों को हटा दिए जाने के कारण हुई।
- (ग) 'परिवार नियोजन सामग्री की निःशुल्क आपूर्ति - 5730.66 लाख रु. की बचत (10000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों को की जाने वाली आपूर्तियों और लैप्रोस्कोपों की खरीद के लिए दिए जाने वाले अनुदान का विंकेलीकरण किए जाने के कारण हुई।
- (E) "Reproductive and Child Health" -
- (a) "Training in RCH" – saving of Rs.553.79 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.738.00 lakhs) was due to change in funding mechanism and implementation plan of the States under Reproductive and Child Health Flexipool.
- (b) "RCH Flexible Pool for State PIPs" – saving of Rs.10292.17 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.152995.00 lakhs) was due to availability of unspent balance of previous year.
- (c) "Routine Immunisation Programme" – saving of Rs.13339.98 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.34500.00 lakhs) was due to non-finalisation of agreement with the World Bank.
- (d) "Expenditure on Supply of Vaccines etc. in UTs without Legislature" – saving of Rs.180.56 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.350.00 lakhs) was due to less visits undertaken by officials.
- (F) "Other Services and Supplies" -
- (a) "Free Supply of FP Material" – saving of Rs.111.46 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.114.00 lakhs) was due to less receipt of suitable proposals.
- (b) "Social Marketing of Contraceptives" – saving of Rs.2774.30 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4805.00 lakhs) was due to exclusion of Intra-Uterine Devices (IUD) from this scheme.
- (c) "Free Supply of FP Material" – saving of Rs.5730.66 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.10000.00 lakhs) was due to decentralisation of supplies to States and grant being given to purchase Laparoscopes.

- (छा) “अन्य व्यय” -
- (क) “राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के अंतर्गत उपाय” - 663.07 लाख रु. की बचत (900.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्वास्थ्य बीमा योजना को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।
- (ख) “राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग” - 472.41 लाख रु. की बचत (600.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अधिकारियों द्वारा कम संख्या में विदेशी दौरे किए जाने और गैर-सरकारी संगठनों और अनुसंधान संस्थानों के लिए सहायता अनुदान परियोजना को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।
- (ग) “लोक-निजी भागीदारी - पीआईपी के अंतर्गत परिवार नियोजन कार्यक्रम में गैर-सरकारी संगठनों का शामिल किया जाना” - 2650.29 लाख रु. की बचत (3018.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य स्वास्थ्य समितियों द्वारा परियोजना प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान किए जाने में विलंब होने और क्षेत्रीय संसाधन केंद्र द्वारा समीक्षा बैठकों का व्यय वहन किए जाने के कारण हुई।
- (घ) “प्रबंधन सूचना प्रणाली” - 1062.88 लाख रु. की बचत (1950.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जनसांख्यिकीविदों के लिए कार्यशाला को आस्थगित किए जाने के कारण हुई।
- (V) मुख्य शीर्ष “3601” - “केंद्रीय रूप से प्रयोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-
- (का) “परिवार कल्याण - शहरी परिवार - कल्याण सेवाएं” -
- (क) “शहरी परिवार कल्याण केंद्र” - 2045.24 लाख रु. की बचत (6415.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;
- (ख) “शहरी परिवार कल्याण केंद्रों का पुनर्गठन” - 2783.32 लाख रु. की बचत (5769.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;
- (G) “Other Expenditure” -
- (a) “Measures under National Population Policy” – saving of Rs.663.07 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.900.00 lakhs) was due to non-finalisation of Health Insurance Plan.
- (b) “National Commission on Population” – saving of Rs.472.41 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.600.00 lakhs) was due to less number of foreign visits undertaken by the officials and non-finalisation of grants-in-aid project for Non-Government Organisations and Research Institutes.
- (c) “Involvement of NGOs in FP Programme under Public-Private Partnership-PIP” – saving of Rs.2650.29 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3018.00 lakhs) was due to delay in approval of project proposals by the State Health Societies and Regional Resource Centre bearing expenses of Review Meetings.
- (d) “Management Information System” – saving of Rs.1062.88 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1950.00 lakhs) was due to deferment of workshop for demographers.
- (V) Under Major Head “3601” - “Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes” – savings occurred under the following heads:-
- (A) “Family Welfare – Urban Family - Welfare Services” –
- (a) “Urban FW Centres” - saving of Rs.2045.24 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.6415.00 lakhs);
- (b) “Revamping of Urban FW Centres” – saving of Rs.2783.32 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5769.00 lakhs);

- (खा) 'परिवार कल्याण - प्रशिक्षण' - (B) "Family Welfare – Training" –
- (क) 'एनएम/एलएचवी का प्रशिक्षण' - 2273.66 लाख रु. की बचत (6008.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; (a) "Training of ANM/LHV" – saving of Rs.2273.66 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.6008.00 lakhs);
- (ख) 'स्वास्थ्य और परिवार कल्याण प्रशिक्षण केंद्र' - 466.06 लाख रु. की बचत (1200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; (b) "Health & FW Training Centre" – saving of Rs.466.06 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1200.00 lakhs);
- (ग) 'एमपीडब्ल्यू का प्रशिक्षण' - 305.35 लाख रु. की बचत (741.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; (c) "Training of MPWs" – saving of Rs.305.35 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.741.00 lakhs);
- (गा) 'परिवार कल्याण - निदेशन और प्रशासन - राज्य/जिला परिवार कल्याण ब्यूरो का रख-रखाव' - 7940.08 लाख रु. की बचत (22346.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और (C) "Family Welfare – Direction & Administration – Maintenance of State/Distt. FW Bureau" – saving of Rs.7940.08 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.22346.00 lakhs); and
- (घा) 'परिवार कल्याण - ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं - उप-केंद्र' - 51652.57 लाख रु. की बचत (149101.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई। (D) "Family Welfare – Rural Family Welfare Services – Sub-Centres" – saving of Rs.51652.57 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.149101.00 lakhs).
- उपर्युक्त सात शीर्षों के अंतर्गत बचतें राज्य सरकारों के पास अव्ययित शेषों के उपलब्ध रहने के कारण हुई। Savings under the above seven heads were due to availability of unspent balances with the State Governments.
- (ड) 'परिवार कल्याण - प्रजनन और बाल स्वास्थ्य - नेमी टीकाकरण कार्यक्रम' - 9359.84 लाख रु. की बचत (31850.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विश्व बैंक के साथ करार को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई। (E) "Family Welfare – Reproductive and Child Health – Routine Immunisation Programme" - saving of Rs.9359.84 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.31850.00 lakhs) was due to non-finalisation of agreement with World Bank.
- (चा) 'लोक स्वास्थ्य - रोगों की रोकथाम और उन पर नियंत्रण' - (F) "Public Health – Prevention and Control of Diseases" –
- (क) 'राष्ट्रीय रोहा और अंधता नियंत्रण कार्यक्रम (सामान्य संघटक) 406.00 लाख रु. की बचत (1450.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार द्वारा निधियों की आवश्यकता न होने और बिहार, राजस्थान, हरियाणा की राज्य सरकारों के पास पिछले वर्ष का अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुई। (a) "National Trachoma and Blindness Control Programme (General Component)" – saving of Rs.406.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1450.00 lakhs) was due to non-requirement of funds by the State Government of Chhattisgarh and availability of unspent balance of previous year with State Governments of Bihar, Rajasthan and Haryana.

(ख) 'राष्ट्रीय वैक्टर वाहित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (ग्रामीण (ई.ए.सी.))' - 9922.74 लाख रु. की बचत (14131.42 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्तावित राष्ट्रीय वैक्टर वाहित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्वव्यापी वित्त प्रबंध के लिए विश्व बैंक से प्रतिबद्धता प्राप्त न होने की वजह से अधिप्राप्ति की प्रक्रिया में विलंब होने के कारण हुई।

(VI) मुख्य शीर्ष "3602" - 'केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) 'परिवार कल्याण - अन्य सेवाएं और आपूर्तियां - परिवार नियोजन सामग्री की निःशुल्क आपूर्ति - 335.36 लाख रु. की बचत (375.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निधियों की प्रत्याशा से कम आवश्यकता होने के कारण हुई।

(खा) 'परिवार कल्याण - प्रजनन और बाल स्वास्थ्य - नेमी टीकाकरण कार्यक्रम' - 239.61 लाख रु. की बचत (550.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोल्ड चेन उपस्कर की अधिप्राप्ति संबंधी कार्रवाई में प्रक्रियात्मक विलंब होने के कारण हुई।

(VII) मुख्य शीर्ष "3606" - 'यूनिसेफ से सहायता - राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम और पोलियो उन्मूलन के सुदृढीकरण के लिए सामग्री सहायता' के अंतर्गत 11839.49 लाख रु. की बचत (18100.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पण्य अनुदान सहायता प्रत्याशा से कम प्राप्त होने के कारण हुई।

(VIII) तेरह शीर्षों के अंतर्गत 1042.27 लाख रु. की बचतें हुईं जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परन्तु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 13 प्रतिशत से 95 प्रतिशत तक थीं।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (131494.74 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि अगस्त, 2006, दिसम्बर, 2006 और मार्च, 2007 में 7.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय और निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अनुदान की पूरक मांगों के अनुबंध द्वारा संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(b) "National Vector Borne Diseases Control Programme (Rural) (E.A.C.)" - saving of Rs.9922.74 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.14131.42 lakhs) was due to delay in procurement process owing to non-receipt of commitment from the World Bank for retroactive financing under the proposed National Vector Borne Diseases Control Programme.

(VI) Under Major Head "3602" - "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Family Welfare - Other Services and Supplies - Free Supply of FP Material" - saving of Rs.335.36 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.375.00 lakhs) was due to less requirement of funds than anticipated.

(B) "Family Welfare - Reproductive and Child Health - Routine Immunisation Programme" - saving of Rs.239.61 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.550.00 lakhs) was due to procedural delay in procurement action of Cold Chain Equipment.

(VII) Under Major Head "3606" - "Assistance from UNICEF - Material Assistance for Strengthening of National Immunisation Programme and Polio Eradication" - saving of Rs.11839.49 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.18100.00 lakhs) was due to less realisation of commodity grants assistance.

(VIII) Under thirteen heads savings of Rs.1042.27 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 13 percent to 95 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (Rs.131494.74 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grants of Rs.7.00 lakhs in August, 2006, December, 2006 and March, 2007 and vide Annexure to Supplementary Demands for Grants under the following major heads:-

- (का) मुख्य शीर्ष '2210' -
- (क) 'शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी' -
- (i) 'केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना - औषधालयों/अस्पतालों की स्थापना' - 9515.93 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 8940.85 लाख रु. था।
- (ii) 'अस्पताल और औषधालय' -
- (1) 'सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली' - 704.80 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 672.97 लाख रु. था।
- (2) 'डा.राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली - 1114.55 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 971.48 लाख रु. था।
- (3) 'अखिल भारतीय भौतिक औषध एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई' - 37.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 73.42 लाख रु. था।
- (iii) 'अन्य व्यय - अस्पताल अपशिष्ट प्रबंधन' - 58.03 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 56.52 लाख रु. था।
- (ख) 'चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान - एलोपैथी' -
- (i) 'भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली को अनुदान' - 12000.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 11999.00 लाख रु. था।
- (ii) 'वल्लभ भाई पटेल वक्ष संस्थान, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली को अनुदान' - 200.00 लाख रु.।
- (iii) 'लेडी हार्डिंग चिकित्सा कालेज और श्रीमती एस.के. अस्पताल, नई दिल्ली' - 503.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 208.05 लाख रु. था।
- (iv) 'चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान स्नातकोत्तर संस्थान, चंडीगढ़ को अनुदान' - 6900.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 6899.00 लाख रु. था।
- (A) Major Head "2210" -
- (a) "Urban Health Services – Allopathy" –
- (i) "Central Government Health Scheme – Setting up of Dispensaries/Hospitals" – Rs.9515.93 lakhs. Actual excess, however, was Rs.8940.85 lakhs.
- (ii) "Hospitals and Dispensaries" –
- (1) "Safdarjung Hospital, New Delhi" – Rs.704.80 lakhs. Actual excess, however, was Rs.672.97 lakhs.
- (2) "Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi" –Rs.1114.55 lakhs. Actual excess, however, was Rs.971.48 lakhs.
- (3) "All India Institute of Physical Medicine and Rehabilitation, Mumbai" – Rs.37.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.73.42 lakhs.
- (iii) "Other Expenditure – Hospital Waste Management" – Rs.58.03 lakhs. Actual excess, however, was Rs.56.52 lakhs.
- (b) "Medical Education, Training and Research – Allopathy" –
- (i) "Grants to Indian Council of Medical Research, New Delhi" – Rs.12000.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.11999.00 lakhs.
- (ii) "Grants to Vallabh Bhai Patel Chest Institute, Delhi University, Delhi" – Rs.200.00 lakhs.
- (iii) "Lady Hardinge Medical College and Smt. S.K. Hospital, New Delhi" – Rs.503.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.208.05 lakhs.
- (iv) "Grants to Post-Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh" – Rs.6900.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.6899.00 lakhs.

- (ग) "लोक स्वास्थ्य" -
- (i) "रोगों की रोकथाम और उन पर नियंत्रण" -
- (1) "राष्ट्रीय वैक्टर वाहित रोग नियंत्रण कार्यक्रम" - 3011.06 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 2157.21 लाख रु. था।
- (2) "रोहा और अंधता नियंत्रण कार्यक्रम" - 3515.30 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 3390.61 लाख रु. था।
- (3) "राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम" - 3307.76 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 3272.15 लाख रु. था।
- (4) "राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम" - 284.04 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 306.79 लाख रु. था।
- (5) "राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम" - 15288.13 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 11930.07 लाख रु. था।
- (ii) "अन्य व्यय - राष्ट्रीय आरोग्य निधि" - 200.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 199.00 लाख रु. था।
- (खा) मुख्य शीर्ष "2211" -
- (क) "अनुसंधान और मूल्यांकन - भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली" - 1144.56 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 1143.00 लाख रु. था।
- (ख) "जन शिक्षा" -
- (i) "मुख्यालय में कार्यकलाप" - 1560.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 1296.01 लाख रु. था।
- (ii) "सूचना और प्रसारण मंत्रालय की प्रचार माध्यम इकाइयों के माध्यम से व्यय" - 2200.93 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 1926.84 लाख रु. था।
- (c) "Public Health" -
- (i) "Prevention and Control of Diseases" -
- (1) "National Vector Borne Disease Control Programme" - Rs.3011.06 lakhs. Actual excess, however, was Rs.2157.21 lakhs.
- (2) "Trachoma and Blindness Control Programme" - Rs.3515.30 lakhs. Actual excess, however, was Rs.3390.61 lakhs.
- (3) "National T.B. Control Programme" - Rs.3307.76 lakhs. Actual excess, however, was Rs.3272.15 lakhs.
- (4) "National Leprosy Control Programme" - Rs.284.04 lakhs. Actual excess, however, was Rs.306.79 lakhs.
- (5) "National AIDS Control Programme" - Rs.15288.13 lakhs. Actual excess, however, was Rs.11930.07 lakhs.
- (ii) "Other Expenditure - Rashtriya Arogya Nidhi" - Rs.200.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.199.00 lakhs.
- (B) Major Head "2211" -
- (a) "Research and Evaluation - Indian Council of Medical Research, New Delhi" - Rs.1144.56 lakhs. Actual excess, however, was Rs.1143.00 lakhs.
- (b) "Mass Education" -
- (i) "Activities at Headquarters" - Rs.1560.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.1296.01 lakhs.
- (ii) "Expenditure Through Media Units of Ministry of Information and Broadcasting" - Rs.2200.93 lakhs. Actual excess, however, was Rs.1926.84 lakhs.

- (ग) “अन्य व्यय - मिशन लचीला पूल’ - 64390.79 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 53847.88 लाख रु. था।
- (ग) मुख्य शीर्ष “3601” - ‘केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - लोक स्वास्थ्य - रोगों की रोकथाम और उन पर नियंत्रण’ -
- (क) ‘राष्ट्रीय वेक्टर वाहित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (ग्रामीण) (सामान्य संघटक)’ - 4476.64 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 4470.98 लाख रु. था।
- (ख) ‘राष्ट्रीय वेक्टर वाहित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (शहरी)’ - 534.19 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 514.73 लाख रु. था।
- (ग) ‘काला-अजार नियंत्रण कार्यक्रम’ - 548.03 लाख रु.।
- (II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-
- (का) मुख्य शीर्ष “2210” -
- (क) ‘चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान - एलोपैथी पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान क्षेत्रीय संस्थान, शिलांग को अनुदान - 6289.00 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष “2552” से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।
- (ख) ‘लोक स्वास्थ्य - सेरा/वैक्सीन का विनिर्माण - बीसीजी वैक्सीन प्रयोगशाला, गुडुंडी, मद्रास - 194.14 लाख रु. का अधिक व्यय (527.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अस्पतालों/औषधालयों/संस्थानों को सुचारु रूप से चलाने के लिए अनिवार्य मदों की अधिक खरीद किए जाने के कारण हुआ।
- (ग) ‘सामान्य - अंतर्राष्ट्रीय सहयोग विश्व स्वास्थ्य संगठन को अंशदान’ - 117.60 लाख रु. का अधिक व्यय
- (c) “Other Expenditure – Mission Flexible Pool” – Rs.64390.79 lakhs. Actual excess, however, was Rs.53847.88 lakhs.
- (C) Major Head “3601” – “Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes – Public Health – Prevention and Control of Diseases” –
- (a) “National Vector Borne Disease Control Programme (Rural) (General Component)” – Rs.4476.64 lakhs. Actual excess, however, was Rs.4470.98 lakhs.
- (b) “National Vector Borne Disease Control Programme (Urban)” – Rs.534.19 lakhs. Actual excess, however, was Rs.514.73 lakhs.
- (c) “Kala-Azar Control Programme” – Rs.548.03 lakhs.
- (II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-
- (A) Major Head “2210” –
- (a) “Medical Education, Training and Research - Allopathy - Grants to North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences, Shillong” - excess of Rs.6289.00 lakhs (against nil provision) was due to re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.
- (b) “Public Health - Manufacture of Sera/ Vaccine – B.C.G. Vaccine Laboratory, Guindy, Madras” - excess of Rs.194.14 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.527.00 lakhs) was due to more purchase of essential items for smooth running of Hospitals/Dispensaries/Institutes.
- (c) “General – International Co-operation – Contribution to World Health

(694.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विनिमय दर में परिवर्तित होने के कारण हुआ।

Organisation” – excess of Rs.117.60 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.694.00 lakhs) was due to exchange rate variation.

(खा) मुख्य शीर्ष “2211” - “प्रजनन और बाल स्वास्थ्य - पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम” - 2076.77 लाख रु. का अधिक व्यय (85300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम VII के लिए जर्मनी कर्जों के अंतर्गत रूपए के समकक्ष की जमा के लिए सहायता और लेखा नियंत्रक को अदायगी किए जाने के कारण हुआ।

(B) Major Head “2211” - “Reproductive and Child Health – Pulse Polio Immunisation Programme” – excess of Rs.2076.77 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.85300.00 lakhs) was due to payment to Controller of Aid and Accounts towards deposit of rupees equivalent under Germany loans for Pulse Polio Immunisation Programme-VII.

(गा) मुख्य शीर्ष “3601” - “केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान” -

(C) Major Head “3601” – “Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes” –

(क) “परिवार कल्याण - प्रजनन और बाल स्वास्थ्य - पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम” - 2033.89 लाख रु. का अधिक व्यय (60900.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उपयुक्त प्रस्तावों के अधिक प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुआ।

(a) “Family Welfare – Reproductive and Child Health – Pulse Polio Immunisation Programme” – excess of Rs.2033.89 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.60900.00 lakhs) was due to more receipt of suitable proposals.

(ख) “लोक स्वास्थ्य - रोगों की रोकथाम और उन पर नियंत्रण - राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम (बाह्य सहायताप्राप्त संघटक)” - 400.00 लाख रु. का अधिक व्यय (2480.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष “2552” से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(b) “Public Health – Prevention and Control of Diseases - National T.B. Control Programme (Externally Aided Component)” – excess of Rs.400.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2480.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern States and Sikkim.

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत 82.61 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 17 प्रतिशत था।

(III) Under one head excess of Rs.82.61 lakhs occurred constituting 17 percent of the sanctioned provision.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (14439.31 लाख रु.) अगस्त, 2006, दिसम्बर, 2006 और मार्च, 2007 में प्राप्त किए गए 2986.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 29 प्रतिशत थीं।

3. In the capital section of the grant, the overall savings (Rs.14439.31 lakhs) exceeded the supplementary grants of Rs.2986.00 lakhs obtained in August, 2006, December, 2006 and March, 2007 and constituted 29 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Savings/excess occurred under the following major head:-

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
				(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष '4210'	Major Head "4210"			
चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Medical and Public Health			
मू.	O.	47568.00		
पू.	S.	2986.00	44642.16	36114.69
पु.	R.	-5911.84		-8527.47

(I) 3651.00 लाख रु. का प्रावधान निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत तीन मामलों पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(I) Provision of Rs.3651.00 lakhs remained wholly unutilised in three cases under the following heads:-

(का) 'शहरी स्वास्थ्य सेवाएं' -

(A) "Urban Health Services" -

(क) 'निदेशन और प्रशासन - राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय' - 50.00 लाख रु. का पूरक अनुदान केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा नामे लिखी गई राशियां प्राप्त न होने के कारण थे।

(a) "Direction and Administration - National Medical Library" - supplementary grant of Rs.50.00 lakhs - due to non-receipt of debits raised by the Central Public Works Department.

(ख) 'अस्पताल और औषधालय - सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली' - 101.00 लाख रु. (1.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) कार्यकलाप शुरू करने के लिए आधारभूत कार्य पूरा न होने के कारण थे।

(b) "Hospitals and Dispensaries - Safdarjung Hospital, New Delhi" - Rs.101.00 lakhs (including token supplementary grant of Rs.1.00 lakh)- due to non-completion of ground work for initiating the activity.

(खा) 'लोक स्वास्थ्य - रोगों से बचाव और उन पर नियंत्रण - एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम के लिए सामग्री और उपस्कर की थोक खरीद' - 3500.00 लाख रु. केंद्रीय स्तर की अधिप्राप्ति का विकेंद्रीकरण राज्य सरकारों को किए जाने के कारण थे।

(B) "Public Health - Prevention and Control of Diseases - Bulk Purchase of Material and Equipment for Integrated Disease Surveillance Programme" -Rs.3500.00 lakhs - due to decentralisation of central level procurement to State Governments.

(II) 'चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान - एलोपैथी वर्धमान महावीर चिकित्सा कालेज, नई दिल्ली' के अंतर्गत 2600.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 1000.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 3600.00 लाख रु. कर दिया गया था। तथापि, 1067.73 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) हुई;

(II) Under "Medical Education, Training and Research - Allopathy - Vardhman Mahaveer Medical College, New Delhi" - the original provision of Rs.2600.00 lakhs was augmented to Rs.3600.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.1000.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.1067.73 lakhs (including supplementary grants);

(III) निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान अंतर्गत प्रत्येक के अंतर्गत दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(का) 'चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान - एलोपैथी डा. राम मनोहर लोहिया स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली' - 1006.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 1400.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 2406.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो 656.00 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा; और

(खा) 'लोक स्वास्थ्य - लोक स्वास्थ्य शिक्षा - एआईआईएच एंड पीएच, कोलकाता' - 400.00 लाख रु. की निधियां पूरक अनुदान प्राप्त करके उपलब्ध कराई गई थीं, तथापि, जो 304.18 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहीं।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें पूंजीगत निर्माण कार्यों पर व्यय की धीमी गति होने के कारण हुई।

(IV) और अधिक बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) 'शहरी स्वास्थ्य सेवाएं' -

(क) 'अस्पताल और औषधालय - कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली' - 139.14 लाख रु. की बचत (142.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यकलाप शुरू करने संबंधी आधारभूत कार्य पूरा न किए जा सकने के कारण हुई।

(ख) 'अन्य व्यय - भारत और विदेश में सामग्रियों की खरीद' - 264.20 लाख रु. की बचत (5000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) फैक्टरियों के बंद होने की वजह से निधियों का उपयोग न होने के कारण हुई।

(खा) 'चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान - एलोपैथी' -

(क) 'लेडी हार्डिंग चिकित्सा कालेज और श्रीमती एस.के.अस्पताल' - 644.60 लाख रु. की बचत (820.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(III) Supplementary grant obtained under the following heads remained unutilised to the extent as shown against each:-

(A) "Medical Education, Training and Research – Allopathy – Dr. RML PG Institute of Medical Education and Research, New Delhi" - the original provision of Rs.1006.00 lakhs was augmented to Rs.2406.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.1400.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.656.00 lakhs; and

(B) "Public Health – Public Health Education – AIIH&PH, Kolkata" –funds of Rs.400.00 lakhs were provided by obtaining supplementary grant which, however, remained unutilised to the extent of Rs.304.18 lakhs.

Savings under the above three heads were due to slow pace of expenditure on capital works.

(IV) Further, savings occurred under the following heads:-

(A) "Urban Health Services" –

(a) "Hospitals and Dispensaries – Kalawati Saran Children's Hospital, New Delhi" – saving of Rs.139.14 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.142.00 lakhs) was due to non-completion of ground work for initiating the activity.

(b) "Other Expenditure – Purchase of Materials in India and abroad" – saving of Rs.264.20 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5000.00 lakhs) was due to non-utilisation of funds owing to closure of factories.

(B) "Medical Education, Training and Research – Allopathy" -

(a) "Lady Hardinge Medical College & Smt. S.K. Hospital" – saving of Rs.644.60 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.820.00 lakhs); and

(ख) “क्षेत्रीय स्नातकोत्तर केंद्र, जिपमेर, पांडिचेरी” - 1203.07 लाख रु. की बचत (3000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(b) “Regional Post Graduate Centre, JIPMER, Pondicherry” – saving of Rs.1203.07 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3000.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें पूंजीगत निर्माण कार्यों पर व्यय की धीमी गति होने के कारण हुई।

Savings under the above two heads were due to slow pace of expenditure on capital works.

(गा) “लोक स्वास्थ्य - रोगों की रोकथाम और उन पर नियंत्रण” -

(C) “Public Health – Prevention and Control of Diseases” -

(क) “दृष्टिदोष की रोकथाम एवं अंधता नियंत्रण और रोहा नियंत्रण कार्यक्रम के लिए सामग्री और उपस्कर की थोक खरीद” - 1366.00 लाख रु. की बचत (1400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नेत्र संबंधी उपस्कर की अधिप्राप्ति से संबंधित कार्यकलापों का विकेंद्रीकरण राज्यों को किए जाने के कारण हुई।

(a) “Bulk Purchase of Material and Equipment for Prevention of Visual Impairment and Control of Blindness and Trachoma Control Programme” – saving of Rs.1366.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1400.00 lakhs) was due to decentralisation of procurement activity of ophthalmic equipment to States.

(ख) “राष्ट्रीय वैक्टर वाहित रोग नियंत्रण कार्यक्रम” - 5905.50 लाख रु. की बचत (27580.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्तावित राष्ट्रीय वैक्टर वाहित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्वव्यापी वित्त प्रबंध के लिए विश्व बैंक से प्रतिबद्धता प्राप्त न होने की वजह से अधिप्राप्ति की प्रक्रिया में विलंब होने के कारण हुई।

(b) “National Vector Borne Disease Control Programme” – saving of Rs.5905.50 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.27580.00 lakhs) was due to delay in procurement process owing to non-receipt of commitment from World Bank for retroactive financing under the proposed National Vector Borne Disease Control Programme.

4. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (900.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि “शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - अस्पताल और औषधालय डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली के अंतर्गत 1.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 660.50 लाख रु. था।

4. The above savings were partly (Rs.900.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.1.00 lakh under “Urban Health Services – Hospitals and Dispensaries – Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi”. Actual excess, however, was Rs.660.50 lakhs.